न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 73/2021

1 सुखदेवी उम्र लगभग 64 साल पत्नी श्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी पूनियां की ढाणी घूमचक्कर नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अनिता देवी पत्नी बलबीर सिंह जाति जाट निवासी धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 चतरी देवी पुत्री स्व. श्री पूर्णमल जाति जाट निवासी भामू की ढाणी तन चिहाला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3 जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. श्री पूर्णमल भामू जाति जाट निवासी भामू की ढाणी तन चिहाला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
4 झाबरमल पुत्र स्व. श्री पूर्णमल भामू निवासी भामू की ढाणी तन चिहाला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
5 लाड़ा देवी पत्नी स्व. पूर्णमल जाति जाट निवासी भामू की ढाणी तन चिहाला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
6 विजय सिंह पुत्र श्रीराम डूडी जाति जाट निवासी चारा का बास परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
7 नगरपालिका नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
8 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण

9 रामेश्वरलाल उम्र 56 साल मो. न. 9313547617

10 मूलचन्द उम्र 52 साल मो.नं. 9414491861

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पुत्रान स्व. श्री अमरचन्द जाति जाट निवासीगण पूनिया की ढाणी, घूमचक्कर के पास सीकर झुन्झुनू रोड़ नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्टस / वादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.11.2020
बइजलास श्री मुरारीलाल शर्मा आरएएस पीठासीन अधिकारी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बउनवानी मुकदमा
रामेश्वरलाल आदि बनाम अनिता देवी वगै. मु.नं. 09 / 2020

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 09 / 2020 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 व 10 ने एक वाद घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 92 व 93 वाके ग्राम नवलगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10/वादीगण ने एक दावा घोषणार्थ, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया जो विवादित भूमि खसरा नम्बर 92 एवं 93 स्थित सरहद ग्राम नवलगढ़ के संबंध में है जो एकपक्षीय डिक्री दिनांक 12.11.2020 को किया गया है जिसकी पालना के लिए तहसीलदार नवलगढ़ रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के यहां उपरोक्त निर्णय भेजा गया। अपीलान्ट के ससुर स्व. श्री अमरचन्द ने अपने जीवनकाल में दिनांक 13.04.2004 को अपनी भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 1.3000 हैक्टेयर स्थित सरहद ग्राम नवलगढ़ में से 20 ग 20 फीट यानि 400 वर्गफीट यानि 37.17 वर्गमीटर यानि 0.003717 हैक्टेयर भूमि, भूमि खसरा नम्बर 93 की उत्तरी—पूर्वी कोने पर नवलगढ़ से सीकर जाने वाली सड़क की तरफ का बनाया तथा उसी समय उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट को दे दिया जिस पर अपीलान्ट आज भी काबिज है व अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर अपनी दुकान व छत पर जानी की सीढीया बना रखी है इस प्रकार अपीलान्ट इस भूमि खसरा नम्बर 93 के 0.003717 हैक्टेयर भूमि की खातेदार काश्तकार हुयी। अपीलान्ट को जानबूझकर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 ने अपने वाद पत्र में पार्टी नहीं बनाया। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 बहुत भोला व्यक्ति है अपना भला बुरा नही समझता है उन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं है। वे करीबन 2—3 साल से बीमार है उन्हें दिखाई भी कम देता है कोई भी व्यक्ति उनके पास बैठकर बहला फुसलाकर अपना कहना मना लेता है इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बात का फायदा अपीलान्ट के देवर रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने उठाकर जान बूझकर विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की उपरोक्त वर्णित भूमि को हड़पने के लिए पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाया जबकि इन्हें अपीलान्ट के कब्जे की पूरी जानकारी है। अगर प्राथमिक डिक्री की कियान्वयन को नहीं रोका जाता है तो अपीलान्ट को बहुत भारी नुकसान निश्चित रूप से होगा क्योंकि उसे अपने दान में मिली भूमि से नाजायज रूप से हाथ धोना पड़ेगा इस कारण इस प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.11.2020 विचारण न्यायालय नवलगढ़ मुकदमा नम्बर 09/2020 उनवानी रामेश्वरलाल बनाम अनिता देवी वगै. की कियान्विति को अविलम्ब न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है ताकि अपीलान्ट के अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं हो व उसे कोई नुकसान नहीं हो। अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट सुखदेवी द्वारा दिनांक 09.02.2022 को विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2022 को अपीलांट का यह आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 9 के रूप पक्षकार संयोजित कर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। स्पष्ट है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट सुखदेवी द्वारा दिनांक 09.02.2022 को विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2022 को अपीलांट का यह आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 9 के रूप पक्षकार संयोजित कर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। स्पष्ट है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो चुकी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज़ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर